हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 5 अप्रैल, 2023

संख्याः वि0स0–विधायन–विधेयक/1–38/2023.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत **हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (राज्य के बालकों की देखरेख, संरक्षण और आत्मनिर्भरता) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्याक 10)** जो आज दिनांक 5 अप्रैल, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/–
यशपाल,
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा ।

————————

2023 का विधेयक संख्यांक 10

हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (राज्य के बालकों की देखरेख, संरक्षण और आत्मनिर्भरता)

विधेयक, 2023

खण्डों का क्रम

खण्डः

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।

अध्याय–2
बाल कल्याण समिति

3. बाल कल्याण समिति।
4. अर्हताएं और हटाया जाना।
5. बाल कल्याण समिति की शक्तियां और कृत्य।

अध्याय–3
संस्थागत देखरेख

6. बालकों के लिए संस्थागत देखरेख।

अध्याय–4

पुनर्वासन और सामाजिक पुनःएकीकरण

7. पश्चात् देखरेख संस्थाओं की स्थापना।
8. पश्चात् देखरेख संस्थाओं में प्रवेश।
9. समिति के आदेशों के विरुद्ध अपील।
10. उच्चतर शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण या कौशल विकास या अनुशिक्षण।
11. जीवन–निर्वाह भत्ता या वजीफा।
12. स्व–रोजगार सहायता।
13. भूमि आबंटन और गृह निर्माण हेतु अनुदान।
14. सुखाश्रय कोष।
15. राज्य स्तरीय समिति का गठन।
16. जिला स्तरीय समिति का गठन।

अध्याय–5
प्रकीर्ण

17. दांडिक उपाय।
18. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।
19. नियम बनाने की शक्ति।
20. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

————————

2023 का विधेयक संख्यांक 10

हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (राज्य के बालकों की देखरेख, संरक्षण और आत्मनिर्भरता) विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

सुखाश्रय स्थापित करने और उसमें निवास करने वाले बालकों की देखरेख, संरक्षण, विकास और आत्मनिर्भरता तथा तत्संबद्ध मामलों का उपबंध करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (राज्य के बालकों की देखरेख, संरक्षण और आत्मनिर्भरता) अधिनियम, 2023 है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जैसी राज्य सरकार राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **परिभाषाएं.**––इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,––

(क) ''पश्चात् देखरेख'' से अनाथों को वित्तीय रूप से या अन्यथा समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित होने हेतु सहायता अभिप्रेत है;

(ख) ''पश्चात् देखरेख संस्था'' से ऐसी संस्थाएं अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा ऐसे अनाथों जिनके पास 18 वर्ष की आयु के पश्चात् 27 वर्ष की आयु तक रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, के लिए आश्रय, भोजन, वस्त्र और देखरेख आदि की व्यवस्था करने हेतु और उनको समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होने के लिए उच्चतर शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास या अनुशिक्षण आदि को सुकर बनाने के लिए स्थापित या अनुरक्षित की जाए;

(ग) बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;

(घ) ''देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक'' से ऐसा बालक अभिप्रेत है,––

(i) जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान नहीं है और जिसके पास जीवन निर्वाह के कोई दृष्यमान साधन नहीं है; या

(ii) जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसने तत्समय प्रवृत्त श्रम विधियों का उल्लंघन किया है या पथ पर भीख मांगते या वहां रहते पाया जाता है; या

(iii) जो किसी व्यक्ति के साथ रहता है (चाहे वह बालक का संरक्षक हो या नहीं) और ऐसे व्यक्ति ने––

(क) बालक को क्षति पहुंचाई है, उसका शोषण किया है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है या उसकी उपेक्षा की है अथवा बालक के संरक्षण के लिए अभिप्रेत या उसके साथ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का अतिक्रमण किया है; या

(ख) बालक को मारने, उसे क्षति पहुंचाने, उसका शोषण करने या उसके साथ दुर्व्यवहार करने की धमकी दी है और उस धमकी को कार्यान्वित किए जाने की युक्तियुक्त संभावना है; या

(ग) किसी अन्य बालक या बालकों का वध कर दिया है, उसके या उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उसकी या उनकी उपेक्षा या उसका शोषण किया है और प्रश्नगत बालक का उस व्यक्ति द्वारा वध किए जाने, उसके साथ दुर्व्यवहार, उसका शोषण या उसकी उपेक्षा किए जाने की युक्तियुक्त संभावना है; या

(iv) जो मानसिक रूप से बीमार या मानसिक या शारीरिक रूप से असुविधा ग्रस्त है या घातक अथवा असाध्य रोग से पीड़ित है, जिसकी सहायता या देखभाल या देखभाल करने वाला कोई नहीं है या जिसके माता–पिता संरक्षक हैं, किन्तु वे देखरेख करने में, यदि समिति द्वारा ऐसा पाया जाए, असमर्थ है; या

(v) जिसके माता–पिता अथवा कोई संरक्षक है और ऐसी माता या ऐसे पिता अथवा संरक्षक को बालक की देखरेख करने और उनकी सुरक्षा तथा कल्याण की संरक्षा करने के लिए, समिति द्वारा अयोग्य या असमर्थ पाया जाता है; या

(vi) जिसके माता–पिता नहीं है और कोई भी उसकी देखरेख करने का इच्छुक नहीं है या जिसके माता–पिता ने उसका परित्याग या अभ्यर्पण कर दिया है; या

(vii) जो गुमशुदा या भागा हुआ बालक है या जिसके माता–पिता, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, युक्तियुक्त जांच के पश्चात् भी नहीं मिल सके; या

(viii) जिसका लैंगिक दुर्व्यवहार या अवैध कार्यों के प्रयोजन के लिए दुर्व्यवहार, प्रपीड़न या शोषण किया गया है या किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है; या

(ix) जो असुरक्षित पाया गया है और उसे मादक द्रव्य दुरुपयोग या अवैध व्यापार में सम्मिलित किए जाने की संभावना है; या

(x) जिसका लोकात्मा विरुद्ध अभिलाभों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है; या

(xi) जो किसी सशस्त्र संघर्ष, सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है या प्रभावित है; या

(xii) जिसको विवाह की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का आसन्न जोखिम है और जिसके माता–पिता और कुटुंब के सदस्यों, संरक्षक और अन्य व्यक्तियों के ऐसे विवाह के अनुष्ठापन के लिए उत्तरदायी होने की सम्भावना है;

(ङ) "बालक देखरेख संस्था'' से राज्य में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक की देखरेख हेतु स्थापित संस्था अभिप्रेत है;

(च) ''राज्य का बालक'' के अन्तर्गत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक और अनाथ है;

(छ) ''समिति'' से धारा 3 के अधीन गठित बाल कल्याण समिति अभिप्रेत है;

(ज) ''जिला स्तरीय समिति'' से धारा 16 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(झ) ''जिला मजिस्ट्रेट'' से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 20 के अधीन यथा परिभाषित कार्यकारी मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;

(ञ) ''जिला कार्यक्रम अधिकारी'' से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत जिला स्तर पर नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ट) ''जिला बाल संरक्षण इकाई'' से राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी जिला के लिए बाल संरक्षण इकाई अभिप्रेत है, जो जिले में बाल संरक्षण उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का केन्द्र बिन्दु है;

(ठ) ''जिला बाल संरक्षण अधिकारी'' से राज्य सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई में नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ड) ''सरकार या राज्य सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ढ) ''अनाथ'' से कोई बालक या 27 वर्ष तक की आयु का कोई व्यक्ति जो अविवाहित है, अभिप्रेत है,–

(i) जो सक्षम प्राधिकारी से माता पिता दोनों का मृत्यु प्रमाण–पत्र पेश करने के अध्यधीन, जैविक या दत्तक माता–पिता रहित है;

(ii) जिसके जैविक या दत्तक माता–पिता चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा प्रमाण पत्र पेश करने के अध्यधीन, चिकित्सीय रूप से बालक की देखरेख करने में असमर्थ है;

(iii) जो जैविक या दत्तक माता–पिता या अभिभावकों द्वारा अभिव्यक्त हो, जिसे समिति द्वारा सम्यक जांच के पश्चात् परित्यक्त घोषित किया गया है;

(iv) जिसका माता–पिता या अभिभावक द्वारा उनके नियंत्रण से परे शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक कारकों के कारण त्याग कर दिया गया है और समिति द्वारा ऐसा घोषित किया गया है;

(ण) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(त) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(थ) "राज्य स्तरीय समिति" से, धारा 15 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(द) "सुखाश्रय" से अभिप्रेत और इसके अंतर्गत बालक देखरेख संस्था और पश्चात् देखरेख संस्था है; और

(ध) "सुखाश्रय कोष'' से धारा 14 के अधीन सृजित कोई निधि अभिप्रेत है।

अध्याय–2

बाल कल्याण समिति

3. बाल कल्याण समिति.––(1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक बाल कल्याण समिति का गठन करेगी, जो देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों और अनाथ बालकों के सम्बन्ध में उस पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का निर्वहन ऐसी रीति में करेगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाए।

(2) समिति एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करना ठीक समझे, जिनमें से कम–से–कम एक महिला तथा अन्य बालकों से सम्बद्ध विषयों पर विशेषज्ञ होगा से मिलकर बनेगी।

4. अर्हता और हटाया जाना.––(1) अध्यक्ष पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक का होगा और उसके पास शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकलापों के क्षेत्र में बालकों के साथ कार्य करने के न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव होगा या बाल मनोविज्ञान या मनोरोग या सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव विकास या विधि के क्षेत्र में व्यवसायी वृत्तिक या कोई सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होना चाहिए।

(2) किसी व्यक्ति को समिति के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक उसके पास बाल मनोविज्ञान या मनोरोग चिकित्सा या विधि या सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या विभिन्नताः सक्षम वालकों हेतु विशेष शिक्षा न हो और सक्रिय रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा या बालकों से सम्बन्धित कल्याण कार्यकलापों में सात वर्ष से जुड़ा न हो या बाल मनोविज्ञान या मनोरोग चिकित्सा या विधि या सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या विभिन्नता सक्षम बालकों हेतु विशेष शिक्षा में डिग्री सहित व्यावसायिक वृत्तिक न हो।

(3) कोई व्यक्ति समिति के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह–

(i) उसका मानवाधिकारों या बाल अधिकारों के अतिक्रमण का कोई पूर्ण अभिलेख हो;

(ii) उसको नैतिक अधमता में अंतर्वलित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध पाया गया हो और ऐसी दोषसिद्धि उल्ट न दी गई हो या ऐसे अपराध की बाबत पूर्णतः क्षमा न की गई हो;

(iii) उसको भारत सरकार या राज्य सरकार, भारत सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटाया गया है या पदच्युत किया गया है;

(iv) वह कभी बाल उत्पीड़न या बालश्रम नियोजन या अनैतिक कार्य या मानवाधिकारों के किसी अन्य अतिक्रमण या अनैतिक कार्यों में संलिप्त रहा हो; या

(v) वह किसी जिले में किसी बाल देखरेख संस्था के प्रबन्धन का भाग हो।

(4) कोई व्यक्ति अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऐसी अन्य अर्हताएं न रखता हो जैसी विहित की जाएं।

(5) समिति का कोई सदस्य अधिकतम दो कार्यकाल जो निरन्तरता में नहीं होंगे, हेतु नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(6) समिति के अध्यक्ष और किसी सदस्य की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा जांच करने के पश्चात् पर्यावसित की जाएगी, यदि,–

(i) वह इस अधिनियम के अधीन उसमें निहित शक्ति के दुरूपयोग का दोषी पाया गया है;

(ii) उसको नैतिक अधमता के किसी अपराध का दोषसिद्धि पाया गया हो और ऐसी दोषसिद्धि उल्ट न दी गई हो या ऐसे अपराध की बाबत पूर्णतः क्षमा न की गई हो;

(iii) वह समिति की कार्यावाहियों में लगातार तीन मास तक विधिमान्य कारण के बिना उपस्थित रहने में असफल रहता है या वर्ष में तीन चौथाई से अन्यून बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहता है।

5. बाल कल्याण समिति की शक्तियां और कृत्य.––बाल कल्याण समिति की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगेः––

(क) बाल कल्याण समिति पश्चात् देखरेख संस्थानों में अनाथों के प्रवेश का आदेश देने के लिए सक्षम होगी।

(ख) समिति पश्चात् देखरेख संस्थानों के निवासियों के लिए निर्मुक्ति आदेश जारी करने के लिए भी सक्षम होगी।

(ग) समिति अनाथ बच्चों की पहचान के लिए जिला बालक संरक्षण ईकाइयों के माध्यम से कुटुंब सर्वेक्षण संचालित करवाएगी।

अध्याय–3
संस्थागत देखरेख

6. बालकों के लिए संस्थागत देखरेख.––बालक देखरेख संस्थाओं और पश्चात् देखरेख संस्थाओं के निवासियों को निम्नलिखित सहायता और भत्ते दिए जाएंगे, अर्थात्:–

(क) वस्त्र भत्ता, जो विहित किया जाए;

(ख) उत्सव भत्ता मुख्य त्योहारों को मनाने के लिए, जो विहित किया जाए;

(ग) अंतर्राज्यिक या राज्यांतरिक वार्षिक अभिदर्शन ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए;

(घ) प्रत्येक बालक और अनाथ के लिए आवर्ती जमा खाते खोले जाएंगे। राज्य सरकार इन आवर्ती जमाओं में ऐसी दर पर जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, अंशदान करेगी।

परंतु विधि का उल्लंघन करने वाले बालक इस धारा के अधीन प्रसुविधाओं के लिए पात्र नहीं होंगे।

अध्याय–4

पुनर्वासन और सामाजिक पुनःएकीकरण

7. पश्चात् देखरेख संस्थाओं की स्थापना.––राज्य सरकार उन अनाथों जिनके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं है और जो 18 वर्ष की आयु के पश्चात् 27 वर्ष की आयु तक बेरोजगार हैं को उच्च शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास या अनुशिक्षण आदि उपलब्ध करवाने और समाज की मुख्य धारा में उनके पुनःएकीकरण के लिए ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, आश्रय भोजन, वस्त्र और देखरेख आदि के लिए पश्चात् देखरेख संस्थानों की स्थापना और अनुरक्षण करेगी।

8. पश्चात् देखरेख संस्थाओं में प्रवेश.–– धारा 3 के अधीन गठित बाल कल्याण समितियां पश्चात् देखरेख संस्थाओं में व्यक्तियों को प्रवेश के आदेश देने के लिए सक्षम होगी। समिति ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए पश्चात् देखरेख संस्था में प्रवेश के लिए आदेश जारी करेगी।

9. समिति के आदेशों के विरुद्ध अपील.––इस अधिनियम के अधीन पारित बाल कल्याण समिति के आदेशों के विरूद्ध अपील सम्बद्ध जिला मैजिस्ट्रेट को की जाएगी।

10. उच्चतर शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा कौशल विकास या अनुशिक्षण.––(1) राज्य सरकार बालक देखरेख संस्थाओं के 21 वर्ष की आयु तक और आपवादिक मामलों में जैसा विहित किया जाए, 23 वर्ष की आयु तक के पूर्व निवासियों हेतु और अनाथ बालकों के लिए उन्हें शिक्षा उपलब्ध करवा कर, उन्हें नियोजन योग्य कौशल और स्थापन प्रदान करने के साथ–साथ समाज की मुख्य धारा में उनका पुनःएकीकरण सुकर बनाने हेतु पश्चात् देखरेख संस्था में उनके रहने के लिए उचित स्थान उपलब्ध करवाकर व्यवस्थाएं करेगी। उच्चतर शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा कौशल विकास या अनुशिक्षण आदि हेतु प्राप्त हुए किसी आवेदन का निपटान जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा ऐसी अवधि के भीतर, जैसी विहित की जाए किया जाएगा।

(2) आवेदन का अनुमोदन सदस्य सचिव द्वारा राज्य स्तरीय समिति में अनुसमर्थन के पश्चात् किया जाएगा।

(3) उच्चतर शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा कौशल विकास या अनुशिक्षण आदि के लिए निधियां राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित की जाएंगी।

11. जीवन–निर्वाह भत्ता या वजीफा.––उच्चतर शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा कौशल विकास या अनुशिक्षण की अवधि के दौरान उनके निजी व्ययों की पूर्ति हेतु जीवन–निर्वाह भत्ता या वज़ीफा ऐसी रीति में प्रदान किया जाएगा जैसी विहित की जाए।

12. स्वरोजगार सहायता.––(1) अनाथ बालक, जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उनके अपने स्टार्टअप स्थापित करने की वांछा रखते हों, को समाज की मुख्य धारा में उनके पुनःएकीकरण को सुकर बनाने के आश्य से ऐसी रीति में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, जैसी विहित की जाए। स्वरोजगार सहायता के लिए प्राप्त किसी आवेदन का निपटान जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला बाल सरंक्षण अधिकारी द्वारा आवेदन की प्राप्ति की अवधि के भीतर ऐसी रीति में किया जाएगा जैसी विहित की जाए।

(2) आवेदन का अनुमोदन और निधियों का उपबन्ध राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।

13. भूमि का आबंटन और भवन निर्माण हेतु अनुदान.––कोई अनाथ जो भूमिहीन है, को उसके जीवन काल के दौरान किसी भी समय तीन बिस्वा सरकारी भूमि और भवन निर्माण हेतु ऐसी आवासीय अनुदान ऐसी रीति में प्रदान किया जाएगा, जैसी विहित किया जाए।

14. सुखाश्रम कोष.––(1) राज्य सरकार 101.00 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक कोष सहित ''सुख आश्रय कोष'' के नाम से ज्ञात किसी निधि का सृजन कर सकेगी, जिसे किसी बैंक में सावधि जमा के रूप में रखा जाएगा, जिसका ब्याज इस अधिनियम के अधीन बालकों और अनाथों के कल्याण और पुनर्वास के लिए उपगत किया जाएगा।

(2) निधि में ऐसे अनुदान या स्वैच्छिक दान, अंशदान या प्रतिदान जमा किए जाएंगे जो सरकार या किसी व्यष्टि या संगठन द्वारा किए जाएं।

15. राज्य स्तरीय समिति का गठन.––(1)धारा 14 के अधीन स्थापित सुखाश्रय कोष के अनुश्रवण और संचालन के प्रयोजन के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का ऐसी रीति में गठन किए जाएगा जैसी विहित की जाए।

(2) राज्य स्तरीय समिति निम्नलिखित से गठित होगी,–

(i)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री	अध्यक्ष;
(ii)	सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	सदस्य;
(iii)	सचिव, वित्त	सदस्य;
(iv)	सचिव, शिक्षा	सदस्य;
(v)	सचिव, तकनीकी शिक्षा	सदस्य;
(vi)	निदेशक, ईएसओएमएसए	सदस्य; और
(vii)	निदेशक, महिला एवं बाल विकास	सदस्य सचिव।

(3) समिति की बैठक छः मास में कम से कम एक बार की जाएगी।

16. जिला स्तरीय समिति का गठन.––(1) प्रत्येक जिले में बाल देखरेख संस्थानों और पश्चात् देखरेख संस्थानों के अनुश्रवण के प्रयोजन के लिए एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा और जो संस्थानों में उपलब्ध करवाए जा रहे देखरेख के मानकों, शिक्षा, व्यवसाय प्रशिक्षण का पुनरीक्षण करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उपलब्ध करवाई गई प्रत्येक वस्तु ऐसी गुणवत्ता की है जैसी विहित की जाए।

(2) जिला स्तरीय समिति निम्नलिखित से गठित होगी,–

(i)	जिला मैजिस्ट्रेट	अध्यक्ष;

(ii)	पुलिस अधीक्षक	सदस्य;
(iii)	स्थानीय शहरी निकाय का आयुक्त / कार्यकारी अधिकारी / सचिव	सदस्य;
(iv)	उप–निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण	सदस्य;
(v)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य;
(vi)	जिला श्रम अधिकारी	सदस्य;
(vii)	उप–निदेशक, उच्च शिक्षा	सदस्य;
(viii)	उप–निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा	सदस्य;
(ix)	जिला खेल अधिकारी	सदस्य;
(x)	जिला कल्याण अधिकारी	सदस्य;
(xi)	परियोजना अधिकारी, समेकित जनजातीय विकास परियोजना	सदस्य;
(xii)	जिला कौशल विकास अधिकारी	सदस्य;
(xiii)	जिला योजना अधिकारी	सदस्य;
(xiv)	जिला बाल संरक्षण अधिकारी	सदस्य;
(xv)	जिला कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य सचिव; और
(xvi)	कोई अन्य ज्ञानक्षेत्र विशेषज्ञ या कानूनी निकाय / विभागीय सहयोजित व्यक्ति	सदस्य।

(3) समिति की बैठक तीन मास में कम से कम एक बार होगी।

अध्याय–5

प्रकीर्ण

17. दांडिक उपाय.––यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा किसी आवेदन का राज्य सरकार द्वारा विहित अवधि के भीतर निपटान नहीं किया जाता है तो निधियों का दुर्विनियोजन या उसके पक्ष में कर्त्तव्य की अननुपालना के रूप में समझा जाएगा।

18. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.––इस अधिनियम के अधीन सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

19. नियम बनाने की शक्ति.––(1) राज्य सरकार पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य–शीघ्र विधान सभा के समक्ष जब वह कुल चौदह दिन से अन्यून अवधि के लिए सत्र में हो, रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि सत्र के अवसान से पूर्व, जिसमें यह इस प्रकार रखा गया था यह शीघ्र बाद के सत्र में, विधान सभा नियम में कोई उपान्तरण करती है या विनिश्चय करती हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम उसके पश्चात् केवल ऐसे उपान्तरित रूप में, यथास्थिति, प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

20. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.––(1) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित आदेश द्वारा कठिनाइयों को दूर करने के यथावश्यक ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों :

परन्तु इस अधिनियम के आरम्भ से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

————————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

बालक राष्ट्र का भविष्य है। इसलिए, बालकों में उच्च नैतिक मूल्यों को विकसित करना आवश्यक है। बालकों को युवावस्था से उचित रूप से ढाला जाना चाहिए, ताकि वे देश के उपयोगी और उत्तरदायी नागरिक बन सकें। अधिकतर बालकों के पास अठारह वर्ष की आयु पूर्ण होने पर भी घर या रहने के लिए स्थान नहीं होता है और वे भिक्षावृति करने तथा गलियों में रहने को मजबूर होते हैं। अधिकतर बालकों के पास उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। इसका आशय बालकों और अनाथों को आवास प्रदान करने के लिए सुखाश्रय की स्थापना करना है। राज्य सुखाश्रय में निवास करने वाले बालकों की देखरेख, संरक्षण और आत्मनिर्भरता के लिए व्यवस्था करने का भी आशय करता है। इससे प्रस्तावित विधान को अधिनियमित करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

[डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल]
प्रभारी मंत्री।

————————

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्धों के अधिनियमित होने पर राजकोष से अनुमानतः 272.27 करोड़ रुपये का व्यय अन्तर्वलित होगा।

————————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 19 राज्य सरकार को इस विधेयक के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य रूप का है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नस्ति संख्याः एसजेई/ए–एफ(4)–3/2023–लूज)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (राज्य के बालकों की देखरेख, संरक्षण और आत्मनिर्भरता) विधेयक, 2023 की विषय–वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित किए जाने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

————————

हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (राज्य के बालकों की देखरेख, संरक्षण और आत्मनिर्भरता) विधेयक, 2023

सुखाश्रय स्थापित करने और उसमें निवास करने वाले बालकों की देखरेख, संरक्षण, विकास और आत्मनिर्भरता तथा तत्संबद्ध मामलों का उपबंध करने के लिए **विधेयक**।

[डा0 (कर्नल) धनी राम शांडिल]
प्रभारी मंत्री।

————————

(शरद कुमार लगवाल)
विधि परामर्शी एवं सचिव (विधि)।

शिमला
———————— , 2023

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 10 of 2023

THE HIMACHAL PRADESH SUKHASHRAYA (CARE, PROTECTION AND SELF-RELIANCE OF CHILDREN OF THE STATE) BILL, 2023

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER-II

CHILD WELFARE COMMITTEE

3. Child Welfare Committee.
4. Qualification and removal.
5. Powers and functions of the Child Welfare Committee.

CHAPTER-III
INSTITUTIONAL CARE

6. Institutional care for children.

CHAPTER-IV
REHABILITATION AND SOCIAL RE-INTEGRATION

7. Setting up of After Care Institutions.
8. Admission in the After Care Institutions.
9. Appeal against the orders of the Committee.
10. Higher Education or Vocational Training or Skill Development or Coaching.
11. Subsistence Allowance or Stipend.
12. Self-Employment Assistance.
13. Allotment of land and grant for construction of house.
14. Sukhashraya Kosh.
15. Constitution of State Level Committee.
16. Constitution of District level Committee.

CHAPTER-V
MISCELLANEOUS

17. Punitive measures.
18. Protection of action taken in good faith.
19. Power to make rules.
20. Power to remove difficulties.

_____

Bill No. 10 of 2023

THE HIMACHAL PRADESH SUKHASHRAYA (CARE, PROTECTION AND SELF-RELIANCE OF CHILDREN OF THE STATE) BILL, 2023

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to establish Sukhashraya and to provide for care, protection, development and self-reliance to the children residing therein and the matters connected thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Sukhashraya (Care, Protection and Self-Reliance of Children of the State) Act, 2023.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires;—

(a) **"after care"** means to support orphans financially or otherwise to join the mainstream of the society;

(b) **"After Care Institution"** means institutions established or maintained by the State Government, for providing shelter, food, clothing and care etc. for orphans who have no place to live after the age of 18 years till the age of 27 years to facilitate higher education, vocational training, skill development and coaching etc. to join the mainstream of the society;

(c) **"child"** means a person who has not completed eighteen years of age;

(d) **"child in need of care and protection"** means a child—

(i) who is found without any home or settled place of abode and without any ostensible means of subsistence; or

(ii) who is found working in contravention of labour laws for the time being in force or is found begging, or living on the street; or

(iii) who resides with a person (whether a guardian of the child or not) and such person—

(a) has injured, exploited, abused or neglected the child or has violated any other law for the time being in force meant for the protection of child; or

(b) has threatened to kill, injure, exploit or abuse the child and there is a reasonable likelihood of the threat being carried out; or

(c) has killed, abused, neglected or exploited some other child or children and there is a reasonable likelihood of the child in question being killed, abused, exploited or neglected by that person; or

(iv) who is mentally ill or mentally or physically challenged or suffering from terminal or incurable disease, having no one to support or look after or having parents or guardians unfit to take care, if found so by the Committee; or

(v) who has a parent or guardian and such parent or guardian is found to be unfit or incapacitated, by the Committee, to care for and protect the safety and well-being of the child; or

(vi) who does not have parents and no one is willing to take care of, or whose parents have abandoned or surrendered him; or

(vii) who is missing or run away child, or whose parents cannot be found after making reasonable inquiry in such manner as may be prescribed; or

(viii) who has been or is being or is likely to be abused, tortured or exploited for the purpose of sexual abuse or illegal acts; or

(ix) who is found vulnerable and is likely to be inducted into drug abuse or trafficking; or

(x) who is being or is likely to be abused for unconscionable gains; or

(xi) who is victim of or affected by any armed conflict, civil unrest or natural calamity; or

(xii) who is at imminent risk of marriage before attaining the age of marriage and whose parents, family members, guardian and any other persons are likely to be responsible for solemnization of such marriage;

(e) **"child care institution"** means institution established in the State to take care of the child in need of care and protection;

(f) **"Child of the State"** includes child in need of care and protection and orphan;

(g) **"Committee"** means Child Welfare Committee constituted under section 3;

(h) **"District Level Committee"** means a committee constituted under section 16;

(i) **"District Magistrate"** means an Executive Magistrate as defined under section 20 of Code of Criminal Procedure 1973 (2 of 1974);

(j) "**District Programme Officer"** means an officer appointed at district level under the Department of Social Justice and Empowerment;

(k) **"District Child Protection Unit"** means a child protection unit for a District, established by the State Government, which is the focal point to ensure the implementation of child protection measures in the district;

(l) "**District Child Protection Officer"** means an officer appointed by the State Government in district child protection unit under the Department of Social Justice and Empowerment;

(m) **"Government or State Government"** means the Government of Himachal Pradesh;

(n) **"orphan"** means a child or person who is unmarried till the age of 27 years and,—

(i) who is without biological or adoptive parents, subject to the production of death certificate of both parents from competent authority;

(ii) whose biological or adoptive parents is medically incapacitated of taking care, subject to the production of medical certificate from Medical Board;

(iii) who is deserted by his biological or adoptive parents or guardians, who has been declared as abandoned by the Committee after due inquiry; or

(iv) who is relinquished by the parent or guardian on account of physical, emotional and social factors beyond their control, and declared as such by the Committee;

(o) **"prescribed"** means prescribed by rules made under this Act;

(p) **"section"** means a section of the Act;

(q) **"State Level Committee"** means a committee constituted under section 15;

(r) **"Sukhashraya"** means and includes Child Care Institution and the After Care Institution; and

(s) **"Sukhashraya Kosh"** means a fund created under section 14.

CHAPTER-II
CHILD WELFARE COMMITTEE

3. Child Welfare.—(1) The State Government shall by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, constitute for every district, one Child Welfare Committee for exercising the powers and to discharge the duties conferred on such Committee in relation to children in need of care and protection and orphans in the manner as may be prescribed by the State Government.

(2) The Committee shall consist of a Chairperson, and four other members as the State Government may think fit to appoint, of whom atleast one shall be a woman and another, an expert on the matters concerning children.

4. Qualification and removal.—(1) The Chairperson shall be above the age of thirty-five years and shall have a minimum of seven years of experience of working with children in the field of education, health or welfare activities or should be a practicing professional with a degree in child psychology or psychiatry or social work or sociology or human development or in the field of law or a retired judicial officer.

(2) No person shall be appointed as a member of the Committee unless he has a degree in child psychology or psychiatry or law or social work or sociology or human health or education or human development or special education for differently abled children and

has been actively involved in health, education or welfare activities pertaining to children for seven years or is a practicing professional with a degree in child psychology or psychiatry or law or social work or sociology or human health or education or human development or special education for differently abled children.

(3) No person shall be eligible for selection as a Chairperson and a member of the Committee, if he—

(i) has any past record of violation of human rights or child rights;
(ii) has been convicted of an offence involving moral turpitude, and such conviction has not been reversed or has not been granted full pardon in respect of such offence;
(iii) has been removed or dismissed from service of the Government of India or State Government or an undertaking or corporation owned or controlled by the Government of India or State Government;
(iv) has ever indulged in child abuse or employment of child labour or immoral act or any other violation of human rights or immoral acts, or
(v) is part of management of a child care institution in a District.

(4) No person shall be appointed as a Chairperson and a member unless he possesses such other qualifications as may be prescribed.

(5) A member of the Committee shall be eligible for appointment of maximum of two terms, which shall not be continuous.

(6) The appointment of a Chairperson and any member of the Committee shall be terminated by the State Government after making an inquiry, if—

(i) he has been found guilty of misuse of power vested on him under this Act;

(ii) he has been convicted of an offence involving moral turpitude and such conviction has not been reversed or he has not been granted full pardon in respect of such offence;

(iii) he fails to attend the proceedings of the Committee consecutively for three months without any valid reason or he fails to attend less than three-fourths of the sittings in a year.

5. Powers and function of the Child Welfare Committees.— Powers and function of the Child Welfare Committees shall be as under:—

(a) The Child Welfare Committee shall be competent to order admission of orphans in the After Care Institutions;

(b) The Committee shall also be competent to issue release order to the residents of the After Care Institutions; and

(c) The Committee shall get the family survey conducted through the District Child Protection Units, to identify the orphans.

CHAPTER-III
INSTITUTIONAL CARE

6. Institutional care for children.—The residents of the Child Care Institutions and After Care Institutions shall be given following assistance and allowances, namely:—

(a) Clothing allowance as may be prescribed;

(b) Festival allowance for celebrating main festivals as may be prescribed;

(c) Inter or Intra-State annual exposure visits in the manner as may be prescribed; and

(d) Recurring deposit accounts shall be opened for each child and orphan. The State Government shall make contributions to these Recurring Deposit at the rate as may be prescribed:

Provided that the Children in conflict with law shall not be eligible for benefits under this section.

CHAPTER-IV
REHABILITATION AND SOCIAL RE-INTEGRATION

7. Setting up of After Care Institutions.—The State Government shall establish and maintain After Care Institutions for providing shelter, food, clothing and care etc. for orphans who have no place to live and who are unemployed after the age of 18 years till the age of 27 years to provide higher education, vocational training, skill development and coaching etc. in order to facilitate their re-integration into the mainstream of the society, in the manner as may be prescribed.

8. Admission in the After Care Institutions.—The Child Welfare Committees constituted under section 3 shall be competent to order admission of persons in the After Care Institutions. The Committee shall issue an order for admission in the After Care Institution within a period as may be prescribed.

9. Appeal against the orders of the Committee.—An appeal against the orders of the Child Welfare Committee passed under this Act, shall be made to the District Magistrate concerned.

10. Higher Education or Vocational Training or Skill Development or Coaching.—(1)The State Government shall make arrangements for ex-residents of Child Care Institutions till the age of 21 years and in exceptional cases as may be prescribed upto the age of 23 years; and for orphans, by providing for their education, giving them employable skills and placement as well as providing them places for stay in After Care Institutions, to facilitate their re-integration into the mainstream of society. Any application received for Higher Education or Vocational Training or Skill Development or Coaching etc. shall be disposed of by the District Programme Officer or District Child Protection Officer within a period as may be prescribed.

(2) The approval of the application shall be made by the Member Secretary, after ratification in the State Level Committee.

(3) Funds for Higher Education or Vocational Training or Skill Development or Coaching etc. shall be approved by the State Level Committee.

11. Subsitence Allowance or Stipend.—During the period of Higher Education or Vocational Training or Skill Development or Coaching, subsistence allowance or stipend shall be provided for meeting out their personal expenses in the manner as may be prescribed.

12. Self Employment Assistance.—(1) Orphans, who wish to establish their own start-ups, after attaining the age of 18 years shall be provided with financial support in order to facilitate their re-integration into the mainstream of the society by the State Government in the manner as may be prescribed. Any application received for Self-Employment Assistance shall be disposed of by the District Programme Officer or District Child Protection Officer within a period as may be prescribed.

(2) The approval of the application and the funds shall be made by the State Level Committee.

13. Allotment of land and grant for construction of house.—An orphan who is landless, shall be provided three biswas of Government land for construction of house and such housing grant as may be prescribed, during his life time.

14. Sukhashraya Kosh.—(1) The State Government may create a fund called as "Sukhashraya Kosh" with an initial corpus of Rs.101.00 crore to keep in the form of Fixed Deposit in a bank; the interest whereof shall be incurred for the welfare and rehabilitation of the children and orphans.

(2) There shall be credited to the fund such grants or voluntary donations, contributions or subscriptions as may be made by the Government or any individual or organization.

15. Constitution of State Level Committee.—(1) A State Level Committee shall be constituted for the purpose of monitoring and operating of the Sukhashraya Kosh established under section 14 in the manner as may be prescribed.

(2) The State Level Committee shall consist of,—

(i)	Minister Social Justice & Empowerment	*Chairperson;*
(ii)	Secretary, Social Justice & Empowerment	*Member;*
(iii)	Secretary, Finance	*Member;*
(iv)	Secretary, Education	*Member;*
(v)	Secretary, Technical Education	*Member;*
(vi)	Director, ESOMSA	*Member; and*
(vii)	Director, Women and Child Development	*Member Secretary.*

(3) The committee shall meet atleast once in six months.

16. **Constitution of District Level Committee.—(**1) A District Level Committee shall be constituted in every district for the purpose of monitoring of Child Care Institutions and After Care institutions and will review standards of care, education, vocational training being provided in the institution and ensure that everything provided is of best quality in the manner, as may be prescribed.

(2) The District Level Committee shall consist of,—

(i)	District Magistrate	Chairperson;
(ii)	Superintendent of Police	Member;
(iii)	Commissioner/Executive Officer/Secretary Urban Local body	Member;
(iv)	Deputy Director-*cum*-Project Officer District rural Development Authority	Member;
(v)	Chief Medical Officer	Member;
(vi)	District Labour Officer	Member;
(vii)	Deputy Director Higher Education	Member;
(viii)	Deputy Director Elementary Education	Member;
(ix)	District Sports Officer	Member;
(x)	District Welfare Officer	Member;
(xi)	Project Officer, integrated Tribal Development Project	Member;
(xii)	District Skill Development Officer	Member;
(xiii)	District Planning Officer	Member;
(xiv)	District Child Protection Officer	Member;
(xv)	District Programme Officer	Member Secretary; and
(xvi)	Any other domain expert or statutory body/department, Co-opted person	Member.

(3) The committee shall meet atleast once in three months.

CHAPTER-V
MISCELLANEOUS

17. Punitive measures.—If an application is not disposed of within a period as may be prescribed by the State Government, misappropriation of funds or non-performance of duty by any officer or official, it shall be regarded as dereliction of duty.

18. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is done in good faith or intends to be done under this Act.

19. Power to make rules.—(1) The State Government may, after previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session for a total period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive session and if, before the expiry of the session in which it is so laid on the session immediately following, the Assembly make any modification in the rule or decide that the rule should not be made, the rule shall, therefore, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or amendment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

20. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as, may appear to be necessary for removing the difficulties:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Children's are the future of the Nation. Hence, it is mandatory to instill rich moral virtues in the children. Children should be moulded from a young age properly so that they can become productive and responsible citizens of the Country. Many children on attaining the age of eighteen years do not have home or place to live and are forced to begging and to live in the streets. Many children even do not possess resources to pursue higher education. The State of Himachal Pradesh is committed to the welfare of its children. It intends to establish Sukhashraya to provide accommodation to the children and orphans. The State also intends to make provisions for care, protection and self-reliance of the children residing in the Sukhashrayas. This has necessitated to enact the proposed legislation.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

[Dr. (Col.) DHANI RAM SHANDIL]
Minister-in-Charge.

SHIMLA:

The , 2023

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill, if enacted, shall involve an expenditure of Rs. 272.27 crore approximately from the State Exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 19 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out the provisions of this Bill. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(File No. SJE-A-F(4)-3/2023-Loose)

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Sukhashraya (Care, Protection and Self-Reliance of Children of the State) Bill, 2023, recommends under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill by the Legislative Assembly.

THE HIMACHAL PRADESH SUKHASHRAYA (CARE, PROTECTION AND SELF-RELIANCE OF CHILDREN OF THE STATE) BILL, 2023

A

BILL

to establish Sukhashraya and to provide for care, protection, development and self-reliance to the children residing therein and the matters connected thereto.

[Dr. (Col.) DHANI RAM SHANDIL]
Minister-in-Charge.

(SHARAD KUMAR LAGWAL),
Secretary (Law).

SHIMLA:

The , 2023